

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पितृपक्ष मेला, 2026 की तैयारियों की समीक्षा हेतु दिनांक-07.09.2026 को आयोजित बैठक (Hybrid Mode) की कार्यवाही ।

सर्वप्रथम, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव, बिहार, पुलिस महानिदेशक, बिहार, उपस्थित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारीगण तथा V.C के माध्यम से जुड़े सभी पदाधिकारीगण का स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया। तदोपरांत मुख्य सचिव की अनुमति से पितृपक्ष मेला, 2026 के आयोजन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा हेतु Hybrid Mode में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पितृपक्ष मेला की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित करते हुए अवगत कराया गया कि पितृपक्ष मेला, गया जी एवं पटना जिला के पुनपुन में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह मेला दिनांक-25 सितम्बर, 2026 से 10 अक्टूबर, 2026 तक (कुल-16 दिन) निर्धारित है। यह भी बताया गया कि इस मेले में देश-विदेश के हिन्दू धर्मावलम्बियों का अपने पित्तों के मोक्ष हेतु पिण्डदान करने के लिए गया एवं पुनपुन में आगमन होता है।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा समाहर्ता, गया एवं पटना से पितृपक्ष मेला 2026 के आयोजन से संबंधित तैयारियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

समाहर्ता, गया द्वारा यह बताया गया कि इस वर्ष जिला प्रशासन द्वारा पितृपक्ष मेला, गया जी की तैयारी जुलाई माह से ही प्रारम्भ कर दी गयी है। मेला के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु जिला स्तर पर कुल-21 कोषांग का गठन किया गया है, जो आवासन, साफ-सफाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सड़क एवं नाली की मरम्मत, स्वास्थ्य व्यवस्था, विद्युत एवं प्रकाश की व्यवस्था, परिवहन एवं यातायात व्यवस्था, विधि व्यवस्था, कॉल-सेन्टर, खाद्य सामग्री आपूर्ति, स्मारिका/मेला संबंधी व्यवस्था का प्रचार-प्रसार, सूचना केन्द्र एवं नियंत्रण कक्ष, खोया-पाया हेल्प डेस्क कोषांग, पहचान पत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आमंत्रण कार्ड, आपदा प्रबंधन, एन0जी0ओ0/स्वयंसेवी संस्था से समन्वयन, इत्यादि कार्य सम्पादित करेगा।

समाहर्ता, गया द्वारा यह बताया गया कि इस वर्ष पितृपक्ष मेला, 2026 हेतु Logo Designing के लिए दिनांक-30.07.2026 को प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा टॉप-10 Design का चयन किया गया।

On

6

मेला क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने तथा वृद्ध एवं दिव्यांग तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्काउट-गार्ड एवं एन0सी0सी0 के स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। खोया-पाया के तहत इस बार Unique QR Based Wrist Band की व्यवस्था किया गया है, जो अभिभावक के मोबाईल से लिंक रहेगा। इससे बच्चों को खोज पाना आसान हो जायेगा। मेला क्षेत्र में 5 स्थानों पर "दीदी की रसोई" खोला जाना है, जिससे श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जा सके। नगर प्रशासन द्वारा आवारा पशुओं के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। Cow catcher के माध्यम से आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य दो पाली में किया जा रहा है।

साफ-सफाई की व्यवस्था :- समाहर्ता, गया द्वारा मेला क्षेत्र में साफ-सफाई की व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि संपूर्ण मेला क्षेत्र को 05 जोन एवं 54 सेक्टर में बांटा गया है। सभी सेक्टरों में सफाई कार्यों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल-39,500 मानवबल द्वारा तीन पालियों में कराया जाएगा। फल्गू नदी के जल की सफाई Trash Cleaning Boat से की जाएगी। साथ ही, सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में Drone द्वारा साफ-सफाई की निगरानी किया जाएगा।

पिण्डदानियों के लिए टेंट सिटी सहित कुल-674 स्थानों पर आवासन की व्यवस्था की गई है, जिसकी आवासन क्षमता लगभग 63,878 (तिरेसठ हजार आठ सौ अठहत्तर) है। विभिन्न स्थानों यथा-वेदी/घाट, यात्री आवासन, पुलिस आवासन, वाहन पार्किंग, इत्यादि कुल-87 स्थलों पर चापाकल-280, प्याऊ-54, नल-890, वॉटर टैंकर-22 एवं वॉटर ए0टी0एम-02 की व्यवस्था की गयी है। वेदी/घाट, यात्री आवासन, पुलिस आवासन, वाहन पार्किंग इत्यादि स्थलों पर कुल 364 शौचालय, Pre Fabricated शौचालय-579 एवं स्नानागार-134, वृद्धजन की सुविधा हेतु 50 व्हील चेयर एवं खोया-पाया कोषांग (नियंत्रण कक्ष) की व्यवस्था की गयी है।

विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था :- पितृपक्ष मेला में 24x7 विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी। मेला क्षेत्र में कुल 184 हाई मास्ट लाईट तथा 87 मिनी हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापित किया गया है एवं 480 सिंगल आर्म पोल, 80 डबल आर्म पोल स्पाईरल लाईट तथा 10,000 रोप साईट पोल लाईट अधिष्ठापित किये गये हैं। मेला क्षेत्र में सजावट हेतु सभी पोल पर तीन रंग सजावटी (तिरंगा) लाईट लगायी जा रही है।

पितृपक्ष मेला क्षेत्र में दो अदद तथा आवासन वाले क्षेत्रों में पांच अदद अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन किया गया है। ट्रांसफार्मर खराब/जलने की

स्थिति में अविलम्ब बदलने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर प्रचुर मात्रा में ट्रांसफार्मर उपलब्ध है। मेला क्षेत्र में चिन्हित स्थलों पर अस्थायी फ्यूज कॉल गैंग की पालीवार प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की जायेगी।

परिवहन व्यवस्था :- समाहर्ता, गया द्वारा परिवहन व्यवस्था के संबंध में की गई तैयारियों के संदर्भ में जानकारी दी गयी कि मेला क्षेत्र में कुल 50 रिंग बसों के लिए रूटवार मार्ग चिन्हित किया गया है तथा राज्य एवं राज्य के बाहर से आनेवाले पिण्डदानियों हेतु 18 वाहन पड़ाव स्थल चिन्हित किये गये हैं। मेला क्षेत्र में कुल-150 ई-रिक्शा का निःशुल्क परिचालन की व्यवस्था की गयी है। गया रेलवे स्टेशन पर 02 एवं गया एयरपोर्ट पर 01 अतिरिक्त टिकट काउण्टर की व्यवस्था की जाएगी।

समाहर्ता, गया द्वारा बताया गया कि रेलवे के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर ली गई है।

ए0डी0आर0एम0, मंडल दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व मध्य रेल द्वारा बताया गया कि पितृपक्ष मेला को देखते हुए तीर्थ यात्रियों के लिए भोपाल एवं जबलपुर से स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है तथा आवश्यकतानुसार अन्य जगहों के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलायी जाएगी। साथ ही, गया स्टेशन पर एक होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है, जिसमें 1000 से 1500 लोग ठहर पायेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से आर0पी0एफ0, जी0आर0पी0 एवं स्पेशल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। साथ ही, सी0सी0टी0वी0 कैमरा का अधिष्ठापन, प्लेटफॉर्म की साफ-सफाई एवं मेला से संबंधित सूचनाएं प्रसारित किया जायेगा। तीर्थ यात्रियों के लिए आवागमन एवं बेहतर यातायात प्रबंधन हेतु गया रेलवे परिसर में 2000 क्षमता का प्रतिकालय का निर्माण किया जायेगा।

गया जी नगर क्षेत्र अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन कार्य :- समाहर्ता, गया द्वारा बताया गया कि गया जी नगर अन्तर्गत तीन प्रमुख सड़कों की मरम्मत कार्य प्रगति पर है, जिसे 15 सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

स्वास्थ्य व्यवस्था :- समाहर्ता द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी गयी कि मेला क्षेत्र में 70 स्वास्थ्य शिविरों की स्थापना, स्वास्थ्य शिविरों के लिए 125 डॉक्टरों, 178 पारा मेडिकल, 52 चतुर्थ श्रेणी कर्मी तथा सभी स्वास्थ्य शिविरों में 53 प्रकार की दवा एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था तथा खाद्य-पदार्थ की जाँच हेतु 3 टीम गठित की गयी हैं। मेला क्षेत्र में 12 एम्बुलेंस (ALSA-08 एवं BLSA-04) की व्यवस्था, 02 शव वाहन की प्रतिनियुक्ति, 05 मोबाईल टीम का गठन

किया गया है। ब्लीचींग पाउडर एवं नियमित रूप से Larva Spray की व्यवस्था की जाएगी।

विधि व्यवस्था :- समाहर्ता द्वारा विधि व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि मेला क्षेत्र को 43 जोन एवं 314 सेक्टर में विभाजित कर तीन पालियों में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, विष्णुपद मंदिर के पास अस्थायी पुलिस थाना की स्थापना, 87 पुलिस शिविर जिसमें May I Help You Counter की स्थापना, वॉच टावर, ड्रोन एवं वैनाकुलर आदि के माध्यम से निगरानी, सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, तीर्थ यात्रियों के आने-जाने वाले मार्ग में 24x7 गश्ती की व्यवस्था, तीर्थ यात्रियों के आवासन स्थल पर 24x7 दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, 67 स्थानों पर 335 CCTV का अधिष्ठापन, जिला नियंत्रण कक्ष (संवास सदन समिति कार्यालय) एवं देवघाट, अक्षयवट में मिनी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी। सामान्य प्रशासन विभाग से 04 अपर समाहर्ता एवं 12 वरीय उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध समाहर्ता, गया द्वारा किया गया है। विष्णुपद मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रबंधन, इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है। मेला के दौरान 02 उप नगर आयुक्त एवं 10 नगर प्रबंधक स्तर के पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति की अधियाचना की गई है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन :- समाहर्ता, गया द्वारा बताया गया कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से प्रमुख वेदियों एवं स्थलों को चिह्नित किया गया है। भीड़ नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली का अधिष्ठापन एवं प्रवेश-निकास हेतु अलग-अलग द्वार की व्यवस्था की गई है।

मेला का प्रचार-प्रसार कार्य :- समाहर्ता, गया द्वारा यह बताया गया कि पितृपक्ष मेला का व्यापक प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया Influencer/Youtuber एवं बैनर-होर्डिंग के माध्यम से किया जायेगा।

मेला के प्रचार-प्रसार हेतु Paint the City कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत चयनित कलाकृतियों को चिह्नित स्ट्रीट/मार्गों पर चित्रांकन कराया जा रहा है।

पितृपक्ष मेला, पुनपुन (पटना) :- अपर समाहर्ता, पटना द्वारा बताया गया कि पुनपुन पितृपक्ष मेला के संबंध में सभी तैयारियाँ की जा रही हैं, जिसे ससमय पूर्ण

Ar

be

कर लिया जायेगा। उनके द्वारा बताया गया कि अपरिहार्य कारणवश समाहर्ता, पटना इस बैठक से नहीं जुड़ सके।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निदेशित किया गया कि समाहर्ता, पटना एवं आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के साथ अलग से पुनःपुनः पितृपक्ष मेला की तैयारियों के संबंध में विचार-विमर्श किया जाय।

पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा बताया गया कि गत वर्ष की अपेक्षा 25 प्रतिशत अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जायेगी, जो आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से लैस होंगे। प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की जायेगी। भीड़ प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जायेगा। सोशल मिडिया पर किसी भी सूचना को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करने की स्थिति में उसके तत्काल काउंटर के लिए त्वरित कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी कोषांग का गठन किया जायेगा। सी0सी0टी0वी0 का Coverage अच्छा होना चाहिए ताकि कोई Shadow Area नहीं हो।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिलों द्वारा अपेक्षित अध्यायना के आलोक में राशि निर्गत करने की कार्रवाई की जाय। राज्य में वर्तमान में जितने भी प्रशिक्षु आई0ए0एस0 है, उन सब की प्रतिनियुक्ति मेला क्षेत्र में की जाय ताकि मेला प्रबंधन में सहायता मिल सके तथा प्रशिक्षुओं को भी इससे अनुभव प्राप्त हो सके। सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ मेला स्थल का निरीक्षण कर लें ताकि लम्बित सभी कार्य ससमय पूर्ण किया जा सके। साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था को विशेष रूप से सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। पितृपक्ष मेला के सफल आयोजन हेतु समाहर्ता, गया को आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर समस्या का त्वरित समाधान करने का निदेश दिया गया। पटना एयर पोर्ट पर पितृपक्ष मेला से संबंधित बैनर/पोस्टर एवं काउण्टर की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया है। मेला अवधि में सभी प्रकार की तैयारियों यथा-सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन कार्य, जर्जर तारों को बदलने, साफ-सफाई, सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ फायर सेफ्टी, भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने एवं भगदड़ की स्थिति को नियंत्रित करने का निदेश दिया गया। विशेष तौर पर फायर सेफ्टी एवं निकासी के लिए अतिरिक्त रास्ता (Exit) की विशेष व्यवस्था, गया जी डैम एवं पुनःपुनः नदी के आसपास गोताखोर, यातायात इत्यादि की समुचित



व्यवस्था हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। साथ ही, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में अधिष्ठापित खाद्य पदार्थों की सभी दुकानों एवं भोजनालय, इत्यादि की नियमित सघन जाँच संबंधित पदाधिकारी के माध्यम से कराने का भी निदेश दिया गया।

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पितृपक्ष मेला के सफल आयोजन हेतु समाहर्ता, गया एवं अपर समाहर्ता, पटना को यथा आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के नियमित संपर्क में रहने एवं अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संचालित पितृपक्ष मेले की व्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं की नियमित समीक्षा करने तथा आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर समस्या का त्वरित समाधान करने का निदेश दिया गया। मेला संचालन अवधि में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना (Untoward incident) घटित नहीं हो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

मुख्य सचिव,
बिहार।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:-09/सै0-1-पितृपक्ष मेला बैठक-25/2018-.....26/10.....(9)/रा0, पटना-15, दिनांक- 16/9/26

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/गृह विभाग /सामान्य प्रशासन विभाग/ कला एवं संस्कृति विभाग/पथ निर्माण विभाग/परिवहन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग/उर्जा विभाग/सूचना एवं जन संपर्क विभाग/भवन निर्माण विभाग/पर्यटन विभाग/श्रम संसाधन विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया एवं पटना प्रमंडल, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (विशेष शाखा), गया एवं पटना/ आरक्षी महानिरीक्षक, गया एवं पटना/जिला पदाधिकारी, गया एवं पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, गया एवं पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पुनपुन/नगर आयुक्त, गया, नगर निगम/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, गया एवं पटना/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया एवं पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मोना झा)
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

ई-मेल

ई-मेल

ज्ञापांक:-09/सै0-1-पितृपक्ष मेला बैठक-25/2018-.....2610.....(9)/रा0, पटना-15, दिनांक- 16/9/26
प्रतिलिपि:-मंडल रेल प्रबंधक, मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व मध्य रेल (मुगलसराय),
उत्तर प्रदेश (ई-मेल-drmddu@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।


(मोना झा) 16/9/26

उप निदेशक,

सर्वेक्षण कार्यालय।

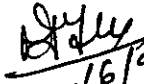
ज्ञापांक:-09/सै0-1-पितृपक्ष मेला बैठक-25/2018-.....2610.....(9)/रा0, पटना-15, दिनांक- 16/9/26
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


(मोना झा) 16/9/26

उप निदेशक,

सर्वेक्षण कार्यालय।

ज्ञापांक:-09/सै0-1-पितृपक्ष मेला बैठक-25/2018-.....2610.....(9)/रा0, पटना-15, दिनांक- 16/9/26
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व
एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(मोना झा) 16/9/26

उप निदेशक,

सर्वेक्षण कार्यालय।